प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में 2015-16 से 2019-20 की अवधि के लिए 'भारतीय रेल में अपशिष्ट प्रबंधन' के मामले पर निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में वर्णित उदाहरण वे हैं जो अप्रैल 2015 से मार्च 2020 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए और साथ ही वे जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में आए लेकिन पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सूचित नहीं किए जा सके।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गयी है।